	कार्यालय प्रभारी, छात्र कल्याण **उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ–अनुसंधान संस्थान, मथुरा– 281001**
संख्याः–392/प्र0छा0क0/2025–26	दिनांकः– 11 सितम्बर, 2025

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के निर्गत आदेश पत्र संख्याः 227/प्र0छा0क0/2025–26 दिनांक 26, जून 2025 का पालन महाविद्यालयों एवं संस्थान स्तर पर पूर्णतः सुनिश्चित न होने के क्रम में पुनः अवगत कराना है कि स्टूडेन्ट हैण्डबुक के पृष्ठ संख्याः 12, चैप्टर–02 के बिन्दु संख्याः 01 के उपबिन्दु–1.2 में निहित प्राविधान **"Undergraduate/Diploma students are permitted to keep cycles only. No motor vehicle will be allowed. The Post Graduate students can keep motor vehicles after getting permission from concerned authority and it will be compulsory for residents to park their cycle in the cycle shed".** के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में स्नातक/डिप्लोमा के छात्र/छात्राओं का मोटर वाहनों का प्रयोग करना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। उक्त सभी छात्र/छात्रा अपनी शिक्षा अवधि के दौरान परिसर के अन्दर कक्षाओं हेतु आने–जाने के लिए साइकिल का प्रयोग कर सकेंगे। जबकि परास्नातक के छात्रों को सम्बन्धित प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त परिसर के अन्दर आवागमन हेतु दोपहिया मोटर वाहन के प्रयोग की छूट अनुमन्य है।

अतः स्नातक/डिप्लोमा के सभी छात्र/छात्राऐं स्टूडेण्ट हैण्डबुक के उक्त नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करते हुए परिसर के अन्दर आवागमन हेतु साइकिल का ही प्रयोग करेंगे साथ ही परिसर के बाहर से स्वयं के दो पहिया मोटर वाहन से आने वाले छात्र/छात्रा अपना वाहन मुख्य गेट के समीप चिन्हित स्थान पर सुरक्षा कर्मी की देख–रेख में खड़ा करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रभारी, छात्र कल्याण

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन/जैव प्रोद्यौगिकी/मत्स्य विज्ञान/डेयरी विज्ञान/निदेशक, पैरावैटेरिनरी साइंस संस्थान, दुवासु मथुरा को इस अनुरोध के साथ कि आदेश का अनुपालन महाविद्यालयों व संस्थान स्तर पर सुनिश्चित कराने की कृपा करें।
2. प्रभारी सुरक्षा, दुवासु मथुरा को इस आशय के साथ कि उक्त उपरोक्त आदेश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी. सैल, दुवासु मथुरा।
4. छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को इस आशय के साथ कि छात्रावासों में डिप्लोमा/स्नातक के छात्र/छात्राओं से उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी अधिकारी, ऐरिस सैल, दुवासु मथुरा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

प्रभारी, छात्र कल्याण

प्रभारी छात्र कल्याण
उ0प्र0 वैटेरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा

Sir Vishal
11/9/2025